डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. बि. पू. भु./04 भोपाल-2001.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम. पी. -108 भोपाल 2001.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जून 2001—ज्येष्ठ 11, शक 1923

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2001

क्र. एफ. 1-51-86-1-चौंतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा नियम, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-दो में, सहायक यंत्री (सिविल) और सहायक यंत्री (मैकेनिकल) के सामने कालम (4) और (5) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित

की जायें, अर्थात् :—

(4)	(5)
25 प्रतिशत	डिप्लोमाधारी उपयंत्री संवर्ग से 50 प्रतिशत, स्नातक डिग्रीधारी उपयंत्री संवर्ग से 20 प्रतिशत, मुख्य मानचित्रकार/मानचित्रकार संवर्ग से 5 प्रतिशत, पद पर 8 वर्ष की न्यूनतम सेवा पात्रता के लिये आवश्यक है.

2. यह संशोधन "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से स्थापित किया गया समझा जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहनी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2001

क्र. एफ. 1-51-86-1-चौंतीस—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-51-86-1-चौंतीस, दिनांक 17 अप्रैल 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश साहनी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 17th April 2001

No. F.-1-51-86-1-XXXIV.—In the exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Rules, 1980, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In schedule II, for the existing entries on column (4) and (5) against Assistant Engineer (Civil) and Assistant Engineer (Machanical) the following entries shall be substituted respectively, namely :—

(4)	(5)
25%	50% from the cadre of Diploma holder Sub Engineers; 20% from the cadre of Graduate Degree holder Sub Engineers; 5% from the cadre of Head Draftsman/Draftsman; Minimum Service of 8 years on the Post necessary for eligibility.

2. This amendment shall be deemed to have come into force from the date of Gazette Notification.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
RAKESH SAHNI, Principal Secy.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2001

क्र. एफ. 2-28-सात-शा.-8-पार्ट-2-97.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) की धारा 237 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (उनसठ) के उपखण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन नियमों में जिन्हें अधिसूचना क्रमांक एफ. 2-28-सात-शा.-8-97-मेन, दिनांक 8 मार्च 1999 द्वारा प्रकाशित किया गया है, एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करती है :—

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 2 में शब्द "पांच प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "दो प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

(2) नियम 3 में शब्द "पांच प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "दो प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. भटनागर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2001

क्र. एफ. 2-28-सात-शा.-8-पार्ट-2-97.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 2-28-97-सात-शा.-8-पार्ट-2, दिनांक 15 मई 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. भटनागर, अपर सचिव.

Bhopal, the 15th May 2001

No. F.-2-28-VII-Sec.-8-P.-II-97.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 258 read with Section 237 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959). State Government hereby amend the rules Published Vide Notification No. F-2-28-VII-Sec.-8-97-P-II, Dated 8th March 1999 as under :—

In the said rules,—

(1) in rule 2, for the words "Five Percent" the words "Two Percent" shall be substituted.

(2) in rule 3, for the words "Five Percent" the words "Two Percent" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
N. S. BHATNAGAR, Addl. Secy.

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग

पर्यावास भवन, खण्ड-1 प्रथम तल, भोपाल

क्र. 1797-माअआ-जसं-2001 भोपाल, दिनांक 30 मई 2001

संकल्प

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का संख्यांक 10) की धारा 29 सहपठित धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

(1) **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—इन विनियमों का नाम "मध्यप्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2001 है.

(2) यह विनियम 1 जून, 2001 से प्रवृत्त होंगे.

(3) विनियम से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1996 है.

(4) विनियम 8(1) में वर्णित शब्द "दो सदस्यीय" के स्थान पर "एक सदस्यीय" प्रतिस्थापित किया जावेगा.

(5) विनियम 8 की उप कंडिका 13 के अंत में निम्नलिखित अंश जोड़ा जावे :—

(13) राज्य आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर सलाह, सूचनाएं एवं अभिमत प्राप्त करने के लिये कोर सलाहका ग्रुप्स अथवा विशेषज्ञ ग्रुप्स का गठन कर सकेगा. यह कोर सलाहका ग्रुप्स अथवा विशेषज्ञ आयोग के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे.

(6) विनियम 18 एवं 19 के मध्य निम्नलिखित अंश 18 (अ) पर जोड़ा जावे :

18 (अ) **अभिलेखों का विनष्टीकरण :—** आयोग के अभिलेखों का परिरक्षण एवं विनष्टीकरण निम्नानुसार होगा :—

(क) प्राथमिक विचार के दौरान अग्राह्य किये गये शिकायती प्रकरणों का विनष्टीकरण- अंतिम आदेश दिनांक से **एक वर्ष.**

(ख) जांच के उपरान्त बगैर अनुशंसा किये अग्राह्य शिकायती प्रकरणों का विनष्टीकरण - अंतिम आदेश दिनांक से **दो वर्ष.**

(ग) प्रकरण जिनमें आयोग द्वारा अनुशंसाएं की गईं-अनुशंसा के क्रियान्वयन दिनांक से **दो वर्ष.**

RESOLUTION

In exercise of the powers conferred by Section 29 read with sub-section (2) of Section 10 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (Act No. 10 of 1994) The Madhya Pradesh Human Rights Commission hereby makes the following amendments to the M.P. State Human Rights Commission (Procedure) Regulations, 1996 :—

1. **Short Title and Commencement.**— These Regulations may be called the Madhya Pradesh Human Rights Commission (Procedure) Amendment Regulation, 2001.

2. They shall come in to force w.e.f. 1st June, 2001.

3. Regulation means M. P. State Human Rights Commission (Procedure) Regulations 1996.

4. The words "**Two Members**" appearing in Regulation No. 8 (1) Regulations, shall be substituted by words "**One Member**".

5. Add the following at sub-para 13 at the end of Regulations 8—

(13) The State Commission may appoint Core Consultative Groups or Expert Groups for advising the Commission on matters within its jurisdication and for purpose of obtaining information and opinion thereupon. These consultative groups or expert groups shall function under the directions and control of the Commision.

6. Add the following as Regulation 18 (A) in between regulation 18 and 19 :—

18 (A) **Elimination of records.**—The preservation and destruction of records of the commission will be as follows :—

(a) Cases relating complaints dismissed during preliminary consideration— **One year** from the date of last order.

(b) Cases relating complaints dismissed after enquiry and without making recommendations **Two years** from the date of last order.

(c) Cases in which Commission has made recommendations **Two years** from the date of implementation of the recommendation.

अनिल माथुर, उपसचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001